न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–मुरैना निग – 3100 – I–16

1– बैजनाथ शर्मा पुत्र श्री जीवनलाल शर्मा

2– बनवारी पुत्र श्री जीवनलाल शर्मा

निवासी–ग्राम रिठौनिया तहसील कौलारस जिला मुरैना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – मुरैना (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/2015–16 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहांकि, विधायक श्री सुखेदव सिंह रजौधा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1682 द्वारा ग्राम रिठौनिया में बैजनाथ, बनवारी पुत्रगण जीवनलाल के पट्टे की जानकारी चाही गयी थी। जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा ग्राम पटवारी से जानकारी प्राप्त की गयी, कि भूमि सर्वे नं. 65 मिन 2 रकवा 0.840, सर्वे नं. 140 रकवा 0.050, सर्वे क्रमांक 155 रकवा 0.610 कुल किता 3 रकवा 1.500 है0 पर बैजनाथ, बनवारी पुत्रगण जीवनलाल समान भाग शासकीय पट्टेदार से बना भूमि स्वामी, भूमि विक्रय से वर्जित अंकित होने की जानकारी ग्राम पटवारी द्वारा दी गयी।

2– यहकि, इस संदर्भ में बैजनाथ, बनवारी पुत्रगण जीवनलाल को सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका विधिवत् जवाब आवेदकगण द्वारा इस प्रकार किया गया कि ग्राम रिठौनिया तहसील कौलारस की भूमि सर्वे क्रमांक 65 मिन 2 रकवा 0.840 सर्वे क्रमांक 140 रकवा 0.050, सर्वे क्रमांक 155 रकवा 0.610 कुल किता 3 रकवा 1.500 है0 भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है। बल्कि उक्त भूमि में से सर्वे क्रमांक 65 मिन 2 रकवा 0.840 है0 भूमि आवेदकगण को म.प्र. शासन से प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पर अधिपत्य के आधार पर व्यवस्थापन करने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिया एवं प्रकरण क्रमांक 15/963–94/अ–19 से आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया गया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 3100/एक/2016 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-12-16	आवेदक की और से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। उन्होने बताया कि उक्त प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना नहीं चाहते अतः समाप्त किया जाये। आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने के पश्चात् वर्तमान प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने के कारण Not Press में समाप्त किया जाता है। सदस्य	